



G20

**भावाअशिप - वन उत्पादकता संस्थान**

(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)

(वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त निकाय)
लालगुटवा, एन.एच.-23, गुमला रोड, राँची-835303 (झारखण्ड)**ICFRE - INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY**

(Indian Council of Forestry Research & Education)

(An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt of India)

Lalgutwa, Gumla Road, N.H.-23, Ranchi-835303 (Jharkhand)

Email:- dir_ifp@icfre.org, ifpranchi2018@gmail.com

Website:- www.ifp.icfre.gov.in

Phone: 0651- 2526140
2526150

फाईल संख्या स्थापना-III-17/2001-2002 / 2803

दिनांक 26 मार्च 2025.
27**कार्यालय आदेश** सं-आई-एफ-पी-1/207/2024-25

विदित हो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 का समापन दिनांक 31.03.2025 को निर्धारित है। अतः इसके पूर्व सभी वित्त संबंधित विपत्रों एवं अग्रिमों का समायोजन अपेक्षित है। ऐसा पाया गया है कि संबंधित प्रभागों द्वारा विपत्रों का समायोजन हेतु कार्यालय में प्रस्तुतीकरण अभी तक लंबित है। अतः यह सूचित किया जाता है कि संबंधित बिलों को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने, समायोजन में तेजी लाने एवं अन्य संबंधित कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु, भा.वा.अ.शि.प- वन उत्पादकता संस्थान के अंतर्गत सभी कार्यालय 29, 30 और 31 मार्च को खुले रहेंगे। इस आदेश को ICFRE के पत्रांक 3-134/2025/ICFRE/Admin दिनांक 26 मार्च 2025 के आलोक में अनुपालन करें। इस संबंध में सभी प्रभागाध्यक्षों, वैज्ञानिकों, आहरण एवं संवितरण अधिकारी, लेखा प्रभाग एवं भंडार प्रभाग के सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है ताकि उक्त कार्यों का निष्पादन समयबद्ध अवधि में सम्पन्न की जा सके।

Aditya Kumar
26/03/25

प्रभारी अधिकारी (प्रशासन)

सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रतिलिपि :

1. समूह समन्वयक (अनुसंधान), भा.वा.अ.शि.प.-वन उत्पादकता संस्थान, राँची।
2. सभी प्रभागाध्यक्ष, भा.वा.अ.शि.प.-वन उत्पादकता संस्थान, राँची।
1. समस्त वैज्ञानिक, भा.वा.अ.शि.प.-वन उत्पादकता संस्थान, राँची।
2. संपदा अधिकारी, भा.वा.अ.शि.प.-वन उत्पादकता संस्थान, राँची।
3. क्रय एवं भंडार अधिकारी, भा.वा.अ.शि.प.-वन उत्पादकता संस्थान, राँची।
4. आहरण एवं निकासी अधिकारी, भा.वा.अ.शि.प.-वन उत्पादकता संस्थान, राँची।
5. निदेशक के निजी सचिव, भा.वा.अ.शि.प.-वन उत्पादकता संस्थान, राँची।
6. ईमेल या अन्य सूचना संचार माध्यम से प्रसारित करने हेतु।
7. डायरी एवं डॉकेट प्रभाग, भा.वा.अ.शि.प.-वन उत्पादकता संस्थान, राँची, को संबंधित सहयोग देने बाबत।
8. सूचना एवं प्रौद्योगिकी, भा.वा.अ.शि.प.-वन उत्पादकता संस्थान, राँची || वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
9. नोटिस पटल (दोनों भवन)
10. गार्ड फाईल।